भारत सरकार / Government of India
परमाणु ऊर्जा विभाग / Department of Atomic Energy
राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र / Raja Ramanna Centre for Advanced Technology
लेखा प्रभाग / Accounts Division

डाकघर: कैट / P.O.: CAT
इंदौर – 452 013 (म.प्र.)

क्रमांक / No.: RRCAT/Sal/MedReim/2025-26/___ **दिनांक / Date: 11 अगस्त, 2026**

परिपत्र

विषय: सेवानिवृत्त CHSS लाभार्थियों द्वारा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों का ऑनलाइन प्रस्तुतिकरण – प्रक्रिया के संबंध में।

इस कार्यालय के परिपत्र सं. **RRCAT/Sal/MedReim/2025-26 दिनांक 30.05.2025** के क्रम में सूचित किया जाता है कि राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र (RRCAT) के कंप्यूटर प्रभाग द्वारा RRCAT अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना (CHSS) के सेवानिवृत्त लाभार्थियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के प्रस्तुतिकरण हेतु वर्कफ्लो आधारित सॉफ्टवेयर का **संस्करण-III** विकसित कर जारी किया गया है। उक्त सॉफ्टवेयर के माध्यम से RRCAT के चिकित्सा अधिकारियों, अधिकृत चिकित्सा परिचारकों (AMA) तथा CHSS के अंतर्गत सूचीबद्ध अस्पतालों के चिकित्सकों द्वारा निर्धारित दवाइयों एवं अन्य चिकित्सा मदों की खरीद पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु दावे ऑनलाइन प्रस्तुत किए जा सकेंगे।

उक्त सॉफ्टवेयर **14 अगस्त, 2026** से प्रभावी होगा तथा RRCAT की वेबसाइट पर उपलब्ध **"Online Medical Reimbursement Claim Portal"** के माध्यम से अभिगम्य होगा।

सेवानिवृत्त CHSS लाभार्थियों द्वारा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के ऑनलाइन प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:-

1. **एकमुश्त पंजीकरण** (One-Time Registration)

सेवानिवृत्त कर्मचारी पोर्टल पर निम्नलिखित विवरण उपलब्ध कराकर अपना पंजीकरण करेंगे:-

- CHSS संख्या
- जन्म तिथि
- मोबाइल नंबर
- ई-मेल आईडी
- बैंक का नाम
- IFSC कोड
- बैंक खाता संख्या

बैंक खाते के विवरण में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होने पर लाभार्थी को पुनः पंजीकरण कराना होगा।

2. पंजीकरण प्रपत्र प्रस्तुत करना

सफल पंजीकरण के उपरांत पंजीकरण प्रपत्र PDF प्रारूप में उपलब्ध होगा। लाभार्थी उक्त प्रपत्र का प्रिंट लेकर उस पर हस्ताक्षर करेंगे तथा विधिवत हस्ताक्षरित पंजीकरण प्रपत्र RRCAT चिकित्सा केन्द्र (RMC) में प्रस्तुत करेंगे।

3. सत्यापन एवं सक्रियण

RMC द्वारा प्राप्त पंजीकरण प्रपत्रों को सत्यापन एवं उपयोगकर्ता खाते के सक्रियण हेतु कर्मचारी संबंध एवं कल्याण (SRW) अनुभाग को अग्रेषित किया जाएगा।

4. पंजीकरण की पुष्टि

सत्यापन उपरांत उपयोगकर्ता खाते के सक्रिय होने की सूचना लाभार्थी के पंजीकृत मोबाइल नंबर एवं ई-मेल आईडी पर SMS एवं ई-मेल के माध्यम से प्रेषित की जाएगी।

5. दावों का ऑनलाइन प्रस्तुतिकरण

उपयोगकर्ता खाता सक्रिय होने के पश्चात सेवानिवृत्त लाभार्थी RRCAT की वेबसाइट पर उपलब्ध पोर्टल के माध्यम से चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकेंगे।

6. आश्रित लाभार्थी द्वारा पंजीकरण

मुख्य लाभार्थी की मृत्यु होने की स्थिति में आश्रित लाभार्थी को चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे प्रस्तुत करने हेतु पुनः पंजीकरण कराना होगा।

7. प्रमाणीकरण (Authentication)

पंजीकरण एक बार की प्रक्रिया होगी। इसके पश्चात लाभार्थी अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर एवं ई-मेल आईडी के माध्यम से प्रमाणीकरण कर इंटरनेट के माध्यम से पोर्टल का उपयोग कर सकेंगे।

8. चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

प्रमाणीकरण के पश्चात लाभार्थी को निम्नलिखित विवरण दर्ज करना होगा:-

संबंधित CHSS लाभार्थी का चयन।

निम्न में से उपयुक्त विकल्प का चयन किया जाएगा:-

- RRCAT चिकित्सा अधिकारी; अथवा
- परामर्शदाता अधिकृत चिकित्सा परिचारक (AMA); अथवा
- संदर्भित चिकित्सा अधिकारी (सूचीबद्ध अस्पताल के मामलों में)।

पर्चा जारी किए जाने की तिथि दर्ज की जाएगी।

निम्नलिखित विवरण दर्ज किए जाएंगे:-

- बिल संख्या
- बिल की तिथि
- राशि
- दवाइयों का विवरण
- मेडिकल स्टोर का नाम

उक्त विवरण दर्ज करने के पश्चात लाभार्थी द्वारा सहायक दस्तावेज PDF प्रारूप में अपलोड किए जाएंगे।

(क) RRCAT चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी पर्चा

- RRCAT चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी हस्ताक्षरित पर्चा।
- खरीदी गई दवाइयों के बिल/इनवॉइस।

दावा इलेक्ट्रॉनिक रूप से संबंधित चिकित्सा अधिकारी को अनुमोदन हेतु अग्रेषित किया जाएगा।

(ख) सूचीबद्ध अस्पताल हेतु रेफरल

- RRCAT चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी रेफरल पत्र।
- सूचीबद्ध अस्पताल के चिकित्सक द्वारा जारी हस्ताक्षरित पर्चा।
- खरीदी गई दवाइयों के बिल/इनवॉइस।

दावा इलेक्ट्रॉनिक रूप से संबंधित रेफरिंग चिकित्सा अधिकारी को अग्रेषित किया जाएगा।

(ग) अधिकृत चिकित्सा परिचारक (AMA) द्वारा जारी पर्चा

- AMA द्वारा जारी हस्ताक्षरित पर्चा।
- खरीदी गई दवाइयों के बिल/इनवॉइस।

दावा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रभारी, RRCAT चिकित्सा केन्द्र को अग्रेषित किया जाएगा।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. सभी सहायक दस्तावेजों पर लाभार्थी द्वारा हस्ताक्षर एवं दिनांक अंकित होना अनिवार्य होगा।
2. सभी दस्तावेजों को स्कैन कर एकल PDF फाइल (अधिकतम आकार 4 MB) में संलग्न किया जाएगा।
3. निर्धारित दस्तावेजों के बिना अथवा अपूर्ण/अप्रासंगिक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत दावे बिना किसी पृथक सूचना के निरस्त किए जा सकते हैं।
4. लाभार्थी यह सुनिश्चित करें कि दावा उचित चिकित्सा अधिकारी को अग्रेषित किया गया है, जिससे प्रसंस्करण में अनावश्यक विलंब न हो।

9. मूल दस्तावेजों का प्रस्तुतिकरण

ऑनलाइन दावा सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने के उपरांत सेवानिवृत्त लाभार्थी स्वयं एवं आश्रित लाभार्थियों से संबंधित दावे की हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी तथा मूल सहायक दस्तावेज RRCAT चिकित्सा केन्द्र (RMC) में प्रस्तुत करेंगे। दावों की प्राप्ति हेतु पावती जारी करने की वर्तमान व्यवस्था यथावत जारी रहेगी।

10. RMC द्वारा दावों का अग्रेषण

RMC यह सुनिश्चित करेगा कि दावा प्रपत्र एवं सभी सहायक दस्तावेजों पर लाभार्थी द्वारा हस्ताक्षर एवं दिनांक अंकित हैं। तत्पश्चात मूल दस्तावेज आगे की कार्रवाई हेतु पेंशन अनुभाग, लेखा प्रभाग को अग्रेषित किए जाएंगे।

11. REWA द्वारा समन्वय

सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण संघ (REWA) द्वारा मूल दावा दस्तावेजों का समूहवार संकलन एवं उन्हें RRCAT चिकित्सा केन्द्र तक पहुंचाने/अग्रेषित करने का समन्वय किया जाएगा।

12. दावे प्रस्तुत करने की समय-सीमा

चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे पर्चा जारी होने की तिथि से **छः माह** के भीतर प्रस्तुत किए जाने आवश्यक होंगे। निर्धारित अवधि के पश्चात प्रस्तुत दावों को सिस्टम द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

तथापि, आवश्यकता होने पर उक्त समय-सीमा की पृथक रूप से समीक्षा कर संशोधन किया जा सकेगा।

13. कार्यप्रवाह (Workflow) चार्ट

चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के प्रस्तुतिकरण एवं प्रसंस्करण की प्रक्रिया को दर्शाने वाला कार्यप्रवाह चार्ट सूचना एवं मार्गदर्शन हेतु संलग्न है।

सभी सेवानिवृत्त CHSS लाभार्थियों तथा संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों से अनुरोध है कि उपर्युक्त प्रक्रिया का संज्ञान लें तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के समयबद्ध एवं सुचारु निपटान हेतु इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

11/08/2026

(मिलिंद एदलाबादकर)
संयुक्त नियंत्रक (वित्त एवं लेखा)

मेलऑल

प्रतिलिपि: निदेशक कार्यालय, RRCAT
समूह निदेशक/सह निदेशक, TDSG, RRCAT
प्रमुख, कंप्यूटर प्रभाग – परिपत्र को RRCAT की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित
प्रमुख, चिकित्सा प्रभाग
वेतन एवं लेखा अधिकारी, RRCAT
सहायक लेखा अधिकारी (पेंशन एवं चिकित्सा), RRCAT

Government of India
Department of Atomic Energy
Raja Ramanna Centre for Advanced Technology
Accounts

PO: CAT
Indore – 452 013 (MP)

No. RRCAT/Sal/MedReim/2025-26/ Date: 11th Aug 2026

CIRCULAR

Sub: Online Submission of Medical Reimbursement Claims by Retired CHSS Beneficiaries – Procedure thereof.

In continuation of this office Circular No. **RRCAT/Sal/MedReim/2025-26** dated **30th May, 2025**, it is hereby informed that the Computer Division, RRCAT has developed and released **Version-III** of the workflow based software for submission of medical reimbursement claims by retired beneficiaries of the RRCAT Contributory Health Service Scheme (CHSS). The software facilitates online submission of reimbursement claims towards expenditure incurred on purchase of medicines and other medical items prescribed by RRCAT Medical Officers, Authorized Medical Attendants (AMAs), and doctors of empanelled hospitals under CHSS.

The software shall be made operational with effect from **14th August, 2026** and will be accessible through the "**Online Medical Reimbursement Claim Portal**" on RRCAT website.

The procedure for online submission of medical reimbursement claims is as follows:

1. **One-time Registration** - Retired employees shall first register themselves on the portal by furnishing the following details:
   - CHSS Number
   - Date of Birth
   - Mobile Number
   - Email ID
   - Bank Name
   - IFSC Code
   - Bank Account Number

   In the event of any change in bank account details, the beneficiary shall be required to complete the registration process afresh.
2. **Submission of Registration Form** - Upon successful registration, a registration form will be generated in PDF format. The beneficiary shall print, sign and submit the duly signed registration form to the **RRCAT Medical Centre (RMC)**.
3. **Verification and Activation** - RMC shall forward the registration forms to the **Staff Relation & Welfare (SRW) Section** for verification and activation of the user account.
4. **Confirmation of Registration** - Upon successful verification, an Email & SMS confirming activation of the account will be sent to the registered Mobile Number and Email ID of the beneficiary.
5. **Online Submission of Claims** - After activation, retired beneficiaries shall be able to submit their medical reimbursement claims online through portal on RRCAT website.
6. **Registration by Dependent Beneficiary** - In the event of the demise of the prime beneficiary, the dependent beneficiary shall again register afresh for submitting the reimbursement claims.
7. **Authentication** - Registration is a one-time activity. Thereafter, beneficiaries may access the portal over Internet using authentication through their registered Mobile Number and Email ID.

8. **Submission of Medical Reimbursement Claim** - After authentication, the beneficiary shall:
   - Select the concerned CHSS beneficiary.
   - Select the prescribing authority, namely:
     - RRCAT Medical Officer; or
     - Consulting AMA; or
     - Referring Medical Officer (for empanelled hospital cases).
   - Enter the date of prescription.
   - Furnish details of expenditure, including:
     - Bill Number
     - Bill Date
     - Amount
     - Name of medicines
     - Name of Medical Store

   After entering all the required information, the beneficiary shall upload supporting documents in **PDF format**.

   The following documents are mandatory, as applicable:

   (a) Prescription by RRCAT Medical Officer
   - Signed prescription issued by the RRCAT Medical Officer.
   - Bills/invoices of medicines purchased.

   The claim shall be forwarded electronically to the concerned Medical Officer who issued the prescription.

   (b) Referral to an Empanelled Hospital
   - Referral letter issued by the RRCAT Medical Officer.
   - Signed prescription issued by the doctor of the empanelled hospital.
   - Bills/invoices of medicines purchased.

   The claim shall be forwarded electronically to the Medical Officer who issued the referral.

   (c) Prescription by Authorized Medical Attendant (AMA)
   - Signed prescription issued by the AMA.
   - Bills/invoices of medicines purchased.

   The claim shall be forwarded electronically to the **In-charge, RRCAT Medical Centre**.

   Important Instructions
   - All supporting documents shall be duly signed and dated by the beneficiary.
   - The documents shall be scanned into **a single PDF file (maximum size: 4 MB)** and uploaded with the claim.
   - Claims submitted without the prescribed supporting documents or containing irrelevant/incomplete documents shall be liable to be rejected without any further intimation.
   - Beneficiaries are advised to ensure that the claim is forwarded to the appropriate Medical Officer to avoid unnecessary delays in processing.

9. **Submission of Original Documents** - After successful online submission, the retired beneficiary shall submit the signed hard copy of the claim along with original supporting documents pertaining to self and dependent beneficiaries at **RRCAT Medical Centre (RMC)**. The existing system of issuing acknowledgement for receipt of claims shall continue.
10. **Forwarding of Claims by RMC** - RMC shall verify that the claim form and all supporting documents have been duly signed and dated by the beneficiary before forwarding the original documents to the **Pension Section, Accounts Division** for further processing.

11. **Coordination by REWA** - The **Retired Employees Welfare Association (REWA)** shall coordinate the collection and forwarding of original claim documents in batches to the RRCAT Medical Centre.
12. **Time Limit for Submission of Claims** - Medical reimbursement claims shall be submitted **within six months from the date of prescription**. Claims submitted beyond the prescribed period shall not be accepted by the system. However, the prescribed time limit may be reviewed and revised separately, if considered necessary.
13. **Workflow Chart** - The workflow chart illustrating the procedure for submission and processing of medical reimbursement claims is enclosed for information and guidance.

All retired CHSS beneficiaries and all concerned are requested to take note of the above procedure and ensure strict compliance for smooth and timely processing of medical reimbursement claims.

11/03/2026

(Milind Edlabadkar)
Joint Controller (F&A)

Mailall

Copy to: Director's Office, RRCAT
GD/AD, TDSG, RRCAT
Head, CD – with a request to upload the circular on RRCAT website
Head, Medical Division
Pay & Accounts Officer, RRCAT
Asstt. Accounts Officer (Pension & Medical), RRCAT

WORKFLOW CHART
ONLINE SUBMISSION & PROCESSING OF MEDICAL REIMBURSEMENT CLAIMS
(RETIRED CHSS BENEFICIARIES)

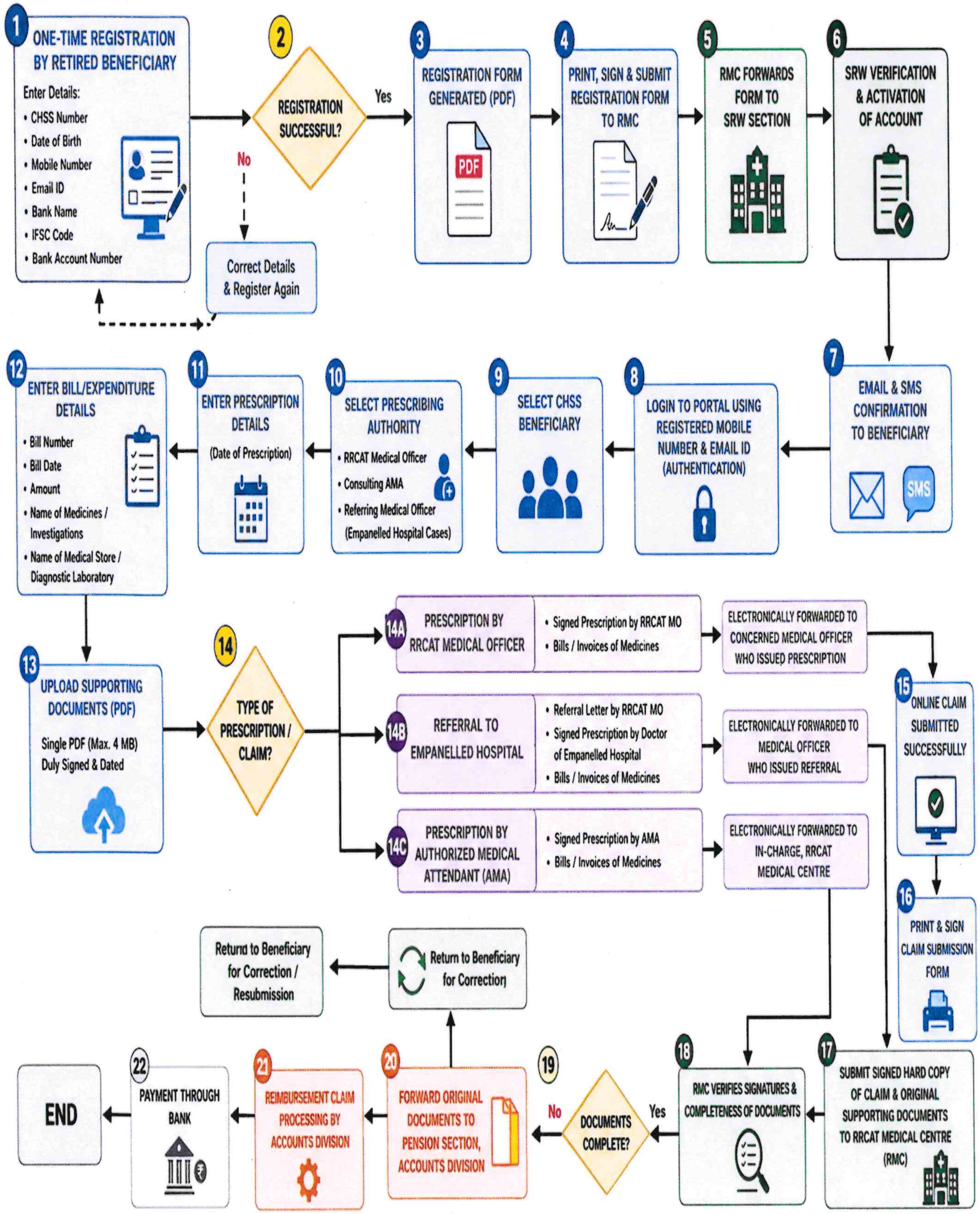

Note: Claims submitted beyond six months from the date of prescription will not be accepted by the system.